

योजना का नाम

साइकिल/ सिलाई
मशीन सहायता

लाभ

मैदानी क्षेत्र के निर्माण श्रमिकों को साइकिल तथा पर्वतीय क्षेत्र के निर्माण श्रमिकों अथवा उनके आश्रित को सिलाई मशीन उपलब्ध करायी जाती है।

पात्रता/लाभार्थी

उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक अथवा उनके आश्रित।

आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया

आनलाइन आवेदन श्रमिक सुविधा केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है, आवेदन पत्र के साथ श्रमिक कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति, आधार कार्ड तथा स्वघोषणा प्रमाण-पत्र जमा करना करना होता है। विभागीय जांच में सही पाये जाने के उपरांत साइकिल/सिलाई मशीन विभाग द्वारा, निर्माण श्रमिकों को बुलाकर दी जाती है। यह सम्पूर्ण जीवनकाल में केवल एक बार दी जाती है।